कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–9129/5968 दिनांक: 28-5-2020.

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषय: Diversion of 0.04318 ha. (instead of 0.03645 ha.) of forest land in favour of Executive Engineer, TS Division, HVPNL, Kaithal for construction of LILO of 132 KV D/C Cheeka-Kheri Gulam Ali at Chakku Ladana S/S Line crossing various strips of protected forest land, under forest division and District Kaithal, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Trans/41328/2019
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–9129/3665 दिनांक 8–1–2020 ।

—

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.04318 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी । अतः इन 13 वृक्षों (वाल्युम 1.77 m^3) को कटवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 187393/– रूपये की राशि से पी0एफ0 फतेहपुर एस्केप सी0–4 में 130 पौधे लगा कर किया जाएगा ।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।

(v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(vi) प्रस्तावित संचारण लाईन के लिए मार्गाधिकार की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 27.00 मीटर होगी ।

(vii) प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जाएगी । परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा ।

(viii) कण्डक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4 मीटर होना चाहिए । कण्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा तथा उपयुक्त फासला छोड़ा जाएगा । बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट–छॉट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा । संचारण लाईन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा ।

(ix) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

(x) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।

(xi) प्रयोक्ता एजैन्सी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरैन्स के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी ।

(xii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य वन विभाग से विचारविमर्श करके संचारण लाईन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों के रोपण, सृजन व रख–रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी ।

(xiii) यदि संचारण लाईन का बनाए जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहॉ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहॉ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे ।

(xiv) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

(xv) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(xvi) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।

(xviii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xix) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xx) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xxi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर क्रम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।

(xxii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xxiii) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xxiv) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।

(xxv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xxvi) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29–1–2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xxvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0),
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, कैथल ।
3. Executive Engineer, TS Division, HVPNL, Kaithal.